U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,I0

vihy l0 14@2021

1. गोरूराम पुत्र स्वः पुर्णमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
2- घडसीराम पुत्र स्वः पुर्णमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
3- फुलाराम पुत्र पुत्र स्वः पुर्णमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू
4- रामावतार पुत्र स्वः पुर्णमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
5- मनभरी पत्नी स्वः पुर्णमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
6- त्रिलोकचंद पुत्र स्वःसागरमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
7- भंवरी पुत्री स्वःसागरमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
8- शांति पुत्री स्वःसागरमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।
9- सत्यनारायण पुत्र स्वःसागरमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू
10-संतोष पुत्री स्वःसागरमल जाति खटिक निवासी राजगढ जिला चूरू ।

vihykFkhZ

cuke

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

jsLikWUM.V

mifLFkr%& 1. श्री ललित गौतम अधिवक्ता अपीलांट
2. राजपेरोकार

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx<+ ds fu.kZ; fnukad 21-02-2018 ds fo: } vihy

vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested

fu.k; दिनांकः—10.09.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 21.02.2018 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 714 रकबा 3.29 हैक्टयर रोही राजगढ ग्रामीण को धारा 177 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त कर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक के रूप में दर्ज करने का निर्णय किया है जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार राजगढ के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रजगढ के न्यायालय में एक वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत कृषि भूमि ख0न0 714 रकबा 3.29 हैक्टयर रोही राजगढ ग्रामीण तहसील राजगढ जिला चूरू में अवैधानिक रूप से अवैध हस्तांतरण ईकरारनामा बतौर बैनामा लिखा जाकर कब्जा करवाकर कृषि जोत के स्वरूप को अकृषि कार्य में परिवर्तित कर दिया है यह कृत्य धारा 177 के तहत राज्य सरकार की सशर्त भंग करने की श्रेणी में आता है । अपीलांट/अप्रार्थीगण ने 90 बी की कार्यवाही करवाये बिना प्लोंटिग कार्य कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई है । अपीलांट/अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया केवल पटवारी हल्का रिपोर्ट में नक्शा दिनांक 11.10.2011 व दिनांक 15.01.2018 को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया वादगत खसरा नम्बर 714 में अपीलांट समस्त 1/10 1/10 हिस्से के खातेदार रहे है इनके पूर्वज पूर्णमल व सागरमल के द्वारा वादगत खसरे में कोई प्लोटिंग कार्य नही किया गया है ना ही विक्रय कर अकृषि कार्य किया गया है । इसलिय धारा 177 का प्रावधान किसी भी तरह से अपीलांट/अप्रार्थीगण व लागू नही होता है । अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि पर खातेदारी जोत को सुधारना समतल करना पेड़ लगाना व पटटीयां रोप कर तारबंदी किया जाना आदि कार्य अकृषि की श्रेणी में नही आता है । वादगत ख0न0 714 में कोई मकान नही बने है व किसी भी तरह का कच्ची पक्की सड़क भी नही बनाई गयी है और ना ही प्लोटिंग कार्य किया गया है । यह वादगत खसरा केवल कृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0 2 सागरमल के विरूद्व वाद हो जाने के बाद भी सागरमल के वारिसान अपीलांट सं0 6 से 10 वाद में पक्षकार नही बनाया जिस कारण सागरमल के विरूद्व प्रस्तुत वाद अबेट हो गया था चूंकि ख0न0 714 में 1/2 हिस्से की खातेदारी पूर्णमल की रही 1/2 खातेदारी सागरमल की रही है । सागरमल के विरूद्व वाद अबेट होने से पूर्णमल का 1/2 हिस्सा हक तक वाद खारिज योग्य रहा है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.02.18 को खारिज किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested

3. रेस्पो0पक्ष की तरफ से राजपेरोकार अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 714 रकबा 3.29 हैक्टयर भूमि में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि में जोत की शर्तो का उल्लधन करते हुए कृषि के स्थान पर अकृषि के रूप में लेने अवैध रूप से कृषि भूमि को 90 बी करवाये बिना प्लोटिंग कर भूमि का उपजाउपन समाप्त करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 व 63 के अन्तर्गत शर्त भंग के चलते खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादगत भूमि को सिवायचक के रूप में दर्ज की गयी है । पटवार रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 11.10.2021 के अनुसार वादगत कृषि भूमि में 2.50 हैक्टयर भूमि में अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्लोटिग पटिटया लगाकर कृषि से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लाया जाना व रोड़ बिछाई हुई स्पष्ट होने के कारण मौके पर वादगत भूमि में काश्त नही किये जाने व कृषि भिन्न प्रयोजन में काम में लेना प्रमाणित होने पर वादगत भूमि को सिवायचक घोषित किया गया जो उचित व न्यायसंगत है । अतः अपील अपीलांट की खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2018 को यथावत रखा जावे ।
4. हमने उभय पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 714 रकबा 3.29 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा पूर्णमल की खातेदारी तथा 1/2 हिस्सा सागरमल की खातेदारी की रही है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत गुगल मैप के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादगत खसरा न0 714 में किसी प्रकार की प्लोटिंग कार्य, सड़क निर्माण आदि का कार्य नही किया गया है । ख0न0 714 के मध्य से रेल्वे लाईन गुजरती है । हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.10.2011 में वादगत खसरे में अभी तक कोई सड़क निर्माण नही किया गया है अंकित है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत खसरे में सड़क निर्माण होना बताया पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में वादगत खसरा के मध्य से रेल्वे लाईन गुजरना का भी अंकन नही किया गया है । पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट विवादास्पद प्रतीत होती है । अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादगत कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 02 की मृत्यु दोराने वाद 2015 में होने के पश्चात उसके वारिसान को पक्षकार न बनाकर कानूनी भूल की है क्यों कि सागरमल के विरूद्व प्रस्तुत वाद सागरमल की मृत्यु के पश्चात तय समय में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने पर वाद अबेट हो चुका था । किसी भी काश्तकार के द्वारा अपनी जोत में सुधार करना समतलीकरण करना व तारबंदी करना आदि कार्य अकृषि [illegible] की श्रेणी में नही आता है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल [illegible] रिपोर्ट को आधार मानकर वादगत ख0न0 714 तादादी 3.29 हैक्टयर को सिवायचक घोषित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.02.2018 को खारिज किया

जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 714 रकबा 3.29 हैक्टयर में अपीलांट/अप्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में पूर्व की भांति खातेदारी का अंकन किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 10.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw&izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested